कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

सामान्य निर्वाचन जिला अशोकनगर

"निर्वाचन तत्काल"

कार्यालय दूरभाष (07543) 225510, फैक्स 225510

E-Mail - dmashoknagar@nic.in & deoashoknagar@gmail.com

क्रमांक / सामा.निर्वा. / 2018 / 2128 अशोकनगर, दिनांक 1/08/2018

// निविदा सूचना //

आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु संलग्न नमूने अनुसार पीठासीन अधिकारियों की पीतल सील तैयार कराई जाना है जिसके लिये निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदायें दिनांक 31 अगस्त 2018 को अपरान्ह 03:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा उसी दिन सायं 04:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

निविदा की शर्तें :–

1. पीठासीन अधिकारी के लिए पीतल की सील 10 दिवस के अन्दर नमूने के अनुसार उपलब्ध कराना होगा।
2. निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में रूपयें 5,000/– (पाँच हजार रूपयें मात्र) प्रतिभूति बैंक ड्रॉफ्ट/राष्ट्रीय बचत पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी।
3. निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर को होगा।
4. निविदा की सामग्री आवश्यकता के अनुसार स्वीकृति दर पर प्रदाय करने हेतु निविदाकार बाध्य होगा। सामग्री मांग का आदेश प्राप्त होने पर समयावधि में निर्दिष्ट स्थान पर उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।
5. निविदाकार स्वीकृति होने के बाद यदि निविदादाता द्वारा कार्य नहीं किया गया या बीच में कार्य छोडा गया तो उनके बाद वाले निविदादाता से कार्य कराया जावेगा तथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
6. निविदादाता का देयक परीक्षण एवं ऑडिट/अनुमोदन उपरांत स्वीकृत करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल द्वारा प्रदत्त आवंटन के अनुसार भुगतान किया जायेगा जिसमें किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। भुगतान करते समय शासन नियमों के अनुसार समस्त प्रकार के करों की कटौत्री की जावेगी।
7. कलेक्टर द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकेगा।
8. किसी भी वाद–विवाद में कलेक्टर अशोकनगर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(डॉ.मंजू शर्मा)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

bairagi election 2018 all nivida

Scanned by CamScanner

क्रं. / सामा.निर्वा. / 2018 / 2128

अशोकनगर, दिनांक :– 14/08/2018

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल ।
2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ।
3. आयुक्त, जन सम्पर्क, जन सम्पर्क भवन, बाणगंगा रोड़ भोपाल की ओर 05 अतिरिक्त प्रतियों में संलग्न कर समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त जिला मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर।
6. समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अशोकनगर।
7. समस्त तहसीलदार जिला अशोकनगर।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला अशोकनगर।
9. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिला अशोकनगर।
10. समस्त सचिव कृषि उपज मण्डी समिति जिला अशोकनगर।
    क्रमांक 5 से 10 की ओर भेजकर लेख है कि उक्त सूचना अपने कार्यालय के नोटिस वोर्ड पर आम जनता के लियें चस्पा करायें।
11. जन सम्पर्क अधिकारी जिला अशोकनगर की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
12. संबंधित फर्म / संस्था...

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

G/s.bairagi election 2018 all nivida

Scanned by CamScanner